प्रारम्भिक शिक्षा

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान निहित है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के विकास एवं सार्वजनीनीकरण की दिशा में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना तथा उसमें वर्ष 1992 में किये गये संशोधनों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनीकरण पर विशेष बल दिया गया है ।

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा नीति के निम्न प्रमुख उद्देश्य है :–

1. सबके लिए निकटस्थ प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा तथा सार्वभौमिक नामांकन
2. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक ठहराव एवं सहभागिता
3. न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) के साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर बल

नीति निर्देशक सिद्धान्तों में निहित संकल्प एवं शिक्षा नीति के उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में शिक्षा के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । राज्य मे शिक्षा हेतु स्वीकृत योजना का लगभग 60 प्रतिशत व्यय प्रारम्भिक शिक्षा पर किया जा रहा है, साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मकयुक्त शिक्षा के प्रयास किये जा रहे हैं ।

नामांकन :

राज्य में वर्तमान में 8 पूर्व प्राथमिक (7 राज.+1 गैर.राज.) विद्यालय, 51724 प्राथमिक (47359 राज. + 4365 गैर.राज.) विद्यालय एवं 49669 उच्च प्राथमिक (29111 राज. + 20558 गैर. राज.) विद्यालय संचालित हैं । इन विद्यालयों के माध्यम से बालक–बालिकाओं को नामांकित कर शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है । वर्ष 2008–09 में नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

	विवरण	नामांकन (लाखों में)
आयु वर्ग 6–11 (कक्षा 1–5)		
समस्त जातियां	छात्र	50.55
	छात्रा	43.82
	योग	94.37
अनुसूचित जाति	छात्र	10.71
	छात्रा	08.80
	योग	19.51
अनुसूचित जनजाति	छात्र	07.50
	छात्रा	06.46
	योग	13.96
आयु वर्ग 11–14 (कक्षा 6–8)		
समस्त जातियां	छात्र	17.69
	छात्रा	12.79
	योग	30.48
अनुसूचित जाति	छात्र	03.52
	छात्रा	02.51
	योग	06.03

अनुसूचित जनजाति	छात्र	02.36
	छात्रा	01.63
	योग	03.99
आयुवर्ग 6–14 (कक्षा 1–8)		
समस्त जातियां	छात्र	68.24
	छात्रा	56.61
	योग	124.85
अनुसूचित जाति	छात्र	14.23
	छात्रा	11.31
	योग	25.54
अनुसूचित जनजाति	छात्र	09.86
	छात्रा	08.09
	योग	17.95

खेलकूद एवं स्वास्थ्य शिक्षा

इस विभाग के अधीनस्थ अध्ययनरत 14 वर्ष आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं की प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताऐं आयोजित होगी है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताऐं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के तत्वाधान में तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताऐं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित होती है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताऐं स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित करवाई जातरी है। इस वर्ष 14 वर्ष आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं की **55वीं राष्ट्र स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं** के अन्तर्गत अब तक सम्पन्न हुई निम्नांकित प्रतियोगिताओं में राज्य दल ने भाग लिया तथा निम्न विवरणानुसार उपलब्धियॉ अर्जित की गई :–

1– **हैण्डबॉल (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 05–10–2009 से 09–10–2009 तक कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा सेमीफाईनल तक प्रदर्शन किया।

2– **कब्बड्डी (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 07–10–2009 से 11–10–2009 तक रायपुर(छत्तीसगढ़) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा भाग लिया।

3– **टेबल–टेनिस (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 08–10–2009 से 13–10–2009 तक गोधरा (गुजरात) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा भाग लिया।

4– **तैराकी (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 21–10–2009 से 25–10–2009 तक कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा भाग लिया।

5– **जिम्नास्टिक (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 22–10–2009 से 27–10–2009 तक चंडीगढ़ में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक रजत एवं एक कांस्य पदक अर्जित कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया।

6– **खो–खो (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 27–10–2009 से 31–10–2009 तक सिहोर (मध्यप्रदेश) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया।

7– **एथेलेटिक्स (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 07–10–2009 से 11–10–2009 तक अमृतसर (पंजाब) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा अच्छा प्रदर्शन करते हुए डिस्कश थ्रो में एक स्वर्ण पदक अर्जित कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया।

8– **फुटबॉल (छात्र)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 15–12–2009 से 20–12–2009 तक त्रिपुरा (अगरतला) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा क्वाटर फाईनल तक प्रदर्शन किया।

9– **क्रिकेट (छात्र)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 22–12–2009 से 27–12–2009 तक मुम्बई(महाराष्ट्र) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया।

10– **बॉलीबॉल (छात्र–छात्रा)एवं कुश्ती (छात्र)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 24–12–2009 से 29–12–2009 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वाटर फाईनल तक पहुंची।

11– **हॉकी (छात्र–छात्रा)** 14 वर्ष आयुवर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 07–01–2010 से 11–01–2010 तक राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) में आयोजित हुई तथा राज्य दल द्वारा अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वाटर फाईनल तक पहुंची।

12– **बैडमिंटन(छात्र–छात्रा)** दिनांक 01–02–2010 से 04–02–2010 तक पूणे (महाराष्ट्र)में

13–**जूडो (छात्र–छात्रा)** दिनांक 03–02–2010 से 07–02–2010 तक त्रिअनन्तपुरम (केरल)मे

14–**बास्केटबॉल (छात्र–छात्रा)** दिनांक 25–02–2010 से 28–02–2010 तक वारनानगर (महाराष्ट्र) में आयोजित होंगी।

इस प्रकार सत्र 2009–10 में अब तक सम्पन्न हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन खिलाड़ी (छात्र–छात्राओं) ने निम्नानुसार पदक अर्जित किये हैं :–

क्रम सं	पदक	पदक संख्या	खेल का नाम
1.	स्वर्ण पदक	1	एथेलेटिक्स
2.	रजत पदक	1	जिम्नास्टिक
3.	कांस्य पदक	3	जिम्नास्टिक–1, कुश्ती–2
	कुल पदक	**5**	

<u>स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमः–</u>

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय/गैर राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विधालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से करवाया जाता है। इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को समय समय पर निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राज्य में यूनिसेफ द्वारा संचालित किशोरी बालिका (10–19 वर्ष आयुवर्ग) के लिए न्यूट्रिशनल ऐनिमिया कन्ट्रोल प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु राज्य सरकारी द्वारा जारी आदेशों की पालना में उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है जो सम्पूर्ण कार्यक्रम की मोनेटरिंग करते हुए प्रगति आदि से संबंधित कमेटी को सीधे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में यह कार्यक्रम टोंक, राजसमन्द, जोधपुर, अलवर,धौलपुर, झालावाड एवं बांरा जिलों में संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2010 में **पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान** के अन्तर्गत दिनांक 10 जनवरी एवं 07 फरवरी,2010 को आयोजित टीकाकरण दिवस के दिन विधालयों को खुला रखने तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पूर्ण सहयोग दिये जाने हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।

शिक्षक नियुक्तियां

अध्यापक तृतीय श्रेणी 2009 के पदों पर नियुक्ति

- अध्यापक तृतीय श्रेणी के पदो ंपर भर्ती के क्रम मे प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा आरपीएससी अजमेर को दिनांक 26.02.2009 को **6273** (संशोधित **6247**) पदों की भर्ती हेतु अर्थना भिजवाई गई थी। जिसके बाद कई बिन्दुओं पर आयोग कार्यालय के द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर दिनांक 22.07.09 को आयोग कार्यालय को कुछ बिन्दुओ पर मार्गदर्शन भिजवा दिया गया था। निम्न बिन्दुओं पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन अभी भी बकाया है, **आयु सीमा में छूट, प्रतापगढ़ जिले के आरक्षण बाबत, पिछ्ड़ा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग को आरक्षण बाबत।** उक्त बिन्दुओ पर मार्गर्शन प्राप्त होने के पश्चात ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा विज्ञापन निकाला जा सकेगा।
- अध्यापक तृतीय श्रेणी के पदो ंपर विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओ के लिए आरक्षित **694** पदों पर भी **प्रतापगढ़ जिले के आरक्षण बाबत, पिछ्ड़ा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग को आरक्षण बाबत** स्थिति स्पष्ट होने पर ही विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

सत्र 2004–05 से 2009–10 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक/प्रबोधक/विशेष शिक्षक/विधवा–विवि/ट्रैनी पदों पर दी नियुक्तियों का विवरण

DATE-30-11-2009

YEAR	NON-PLAN	PLAN	CSS	SSA	TOTAL
2004-05	7933	905	209	4340	13387
2005-06	8457	1899	0	10990	21346
2006-07	267	100	0	822	1189
2007-08	444	243	0	24765	25452
2008-09	0	0	0	26207	26207
2009-10	0	0	0	102	102
	17101	**3147**	**209**	**67226**	**87683**

प्रबोधक भर्ती

राजीव गांधी पाठशालाओ मे कार्य करने वाले पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिस परियोजनाओ में कार्य करने वाले आशार्थियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रबोधक का नवीन पद सृजित किया गया एवं **28673** पदों की स्वीकृति दी गई। जिसके विरूद्ध **22495** पदो पर नियुक्तियां की जा चुकी है।

प्रीति दीक्षित बनाम राज्य सरकार मे पारित निर्णय दिनाक 07.01.2009 की पालना हेतु संबधित जिशिअ को आवश्यक निर्देश दिनांक 09.11.09 व 12.11.09 को प्रदान किये गये हैं। तद्नुसार पात्र आशार्थियो की नियमानुसार नियुक्ति की जा सकेगी। पूर्व में उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय डीबी स्पेशल अपील मे स्थगन के कारण से क्रियान्विति नहीं हो सकी थी, अब

स्थगन खारिज हो जाने से पुनः नियुक्तियां प्रारंभ की जा चुकी है। चुनाव आचार संहिता समाप्ति पश्चात् जिलास्तर पर नियुक्तियां की जायेगी। न्यायालय आदेशों की पालना में साक्षात्कार से वंचित अभ्यर्थियों का 11 फरवरी से जिलास्तर पर साक्षात्कार लिया जाना प्रस्तावित है।

विद्यार्थी मित्र योजना

विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की समस्या के निवारण हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो अध्यापक पद की योग्यता रखते हें को विद्यालयों में रिक्त पदो ेके विरूद्ध अध्यापन कार्य करवाने हेतु लगाने की योजना बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में सविंदा पर लगाये गये शिक्षक विद्यार्थी मित्र कहलाते है।

राज्य सरकार के आदेशः–

विभाग द्वारा प्रशिक्षित चयनित अध्यापक उपलब्ध नही होने तक विद्यार्थी मित्र लगाने की वर्ष 2008–09 में 19500 विद्यार्थी मित्र लगाने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुवी। जिसमें से पूर्व निर्देशानुसार 1070 संस्कृत शिक्षा में व शेष प्रारम्भिक शिक्षा में ऐसे दुरस्त ग्रामिण विद्यालयों में लगाये गये हैं जंहा पद तो स्वीकृत है , लेकिन अध्यापक उपलब्ध नही है। इन विद्यार्थी मित्रों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता सीनीयर सैकण्डरी तथा बी.एड./बीएसटीसी है। प्रशैक्षणिक योग्यताधारी विद्यार्थी मित्र उपलब्ध नही होने पर शैक्षणिक योग्यताधारी भी लगाये जा सकते हैं। इन विद्यार्थी मित्रों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.( )/प्राशि/2003 जयपुर, दिनांकः 31.5. 2008 द्वारा 29.02.2009 तक लगाने की स्वीकृति जारी की गई। जिसे 30.04.2009 तक बढाने के लिए निदेशालय के पत्रांकः शिविरा/प्रार/शिक्षक–संस्था/एफ–2/विद्यार्थी मित्र/692/08 दिनांकः 6.02.2009 द्वारा राज्य सरकार से निवेदन किया गया है। इन विद्यार्थी मित्रों को पूर्व में रूपेय 2750/– प्रतिमाह मानदेय देने के प्रावधान कीये गये थे, जिसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःप.1(12)प्राशि/2003 जयपुर, दिनांकः03.09.2008 द्वारा बढाकर रूपेय 3025/– कर दिया गया है। वर्तमान में इन्हे 3025/– प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों को कार्यदिवशों में स्वयं द्वारा अनुपस्थित रहने पर ही मानदेय की कटोती की जाती है, सार्वजनिक अवकाशों की कटोती नही की जाती है। शिक्षा सत्र 2008–09 में कुल 19455 विद्यार्थी मित्र लगाये गये थे , जिनकी अवधि दिनांक 15.04.09 तक राज्य सरकार द्वारा बढाई गयी तत्पश्चात सभी विद्यार्थी मित्रों को कार्य से हटा दिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.1 (12) शिक्षा–1/प्राशि/2003/पार्ट जयपुर दिनांकः11.08.09 द्वारा माननीय न्यायालय से स्टे प्राप्त एवम् गत वर्ष कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को सत्रान्त तक कार्य पर लगाने के आदेशों के फलस्वरूप वर्तमान में कुल 15994 विद्यार्थी मित्र कार्य कर रहें है। जिनकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार है।

विद्यार्थी मित्र की सूचना का प्रपत्र 20.11.2009

क्रम संख्या	जिले का नाम	लगाए गये विद्यार्थी मित्र			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	सेवानिवृत	योग
		प्रावि	उप्रावि	योग				
1	अलवर	323	262	585	415	170	0	585
2	दौसा	30	128	158	125	32	1	158
3	जयपुर	32	133	165	67	98	0	165
4	सीकर	278	184	462	283	177	2	462

5	अजमेर	161	50	211	9	198	4	211
6	भीलवाडा	735	341	1076	814	212	50	1076
7	नागौर	416	399	815	363	440	12	815
8	टोंक	222	57	279	243	36	0	279
9	बांसवाडा	90	521	611	287	324	0	611
10	चितोड	517	281	798	314	475	9	798
11	डूंगरपुर	16	199	215	122	93	0	215
12	राजसमंद	432	269	701	290	405	6	701
13	उदयपुर	460	615	1075	382	692	1	1075
14	प्रतापगढ	139	244	383	188	195	0	383
15	बाडमेर	519	989	1508	597	905	6	1508
16	जैसलमेर	67	111	178	0	178	0	178
17	जालौर	518	393	911	379	529	3	911
18	जोधपुर	46	570	616	616	0	0	616
19	पाली	750	245	995	565	421	9	995
20	सिरोही	76	187	263	53	208	2	263
21	भरतपुर	125	160	285	196	89	0	285
22	धौलपुर	194	167	361	261	99	1	361
23	करौली	40	46	86	70	16	0	86
24	स.माधोपुर	23	30	53	49	4	0	53
25	बीकानेर	164	290	454	41	413	0	454
26	चूरू	308	312	620	239	367	14	620
27	गंगानगर	132	230	362	362	0	0	362
28	हनुमानगढ	76	68	144	144	0	0	144
29	झुझनू	16	18	34	34	0	0	34
30	बांरा	251	256	507	213	294	0	507
31	बूंदी	69	82	151	70	81	0	151
32	झालावाड	433	427	860	356	501	3	860
33	कोटा	46	26	72	55	17	0	72
	योग	7658	8290	15994	8202	7669	123	15994

भाषाई अल्प संख्यकों के लिए शिक्षा

भाषाई अल्प संख्यकों के लिये सुविधाएं –

भारतीय संविधान की धारा 350(अ) के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान है । राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी एवं गुजराती इन चारों भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है । इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों को उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षाओं के अनुसार अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुविधा प्रदान की गयी है। गुजराल समिति के अनुसार राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूरी शाला में कम से कम 40 या विद्यालय की एक कक्षा में 10 छात्र–छात्रा अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो तो उसकी व्यवस्था करके प्राथमिक स्तर पर उनकी शिक्षा देने की सुविधा प्रदान की जाती है ।

विद्यालय –

राज्य में भाषाई अल्प संख्यक भाषाओं के अध्ययन हेतु वर्तमान में निम्नानुसार विद्यालय में सुविधा उपलब्ध है –

विद्यालय स्तर	भाषाई अल्प संख्यक भाषा संचालित विद्यालयों की संख्यात्मक की स्थिति वर्ष 2008–09							
	उर्दू		सिंधी		पंजाबी		गुजराती	
	विद्यालय	नामांकन	विद्यालय	नामांकन	विद्यालय	नामांकन	विद्यालय	नामांकन
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय	684	62572	37	2441	705	45144	0	0

मिड–डे–मील कार्यक्रम

राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सम्बल प्रदान करने हेतु एक जुलाई 2002 से राज्य के सभी 32 जिलों में कक्षा 1–5 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को पोषाहार वितरण किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत 300 कैलोरी एवं 8–12 ग्राम प्रोटीन युक्त 100 ग्राम खाद्यान से पका हुआ भोजन प्रत्येक बालक–बालिकाओं को प्रति शैक्षणिक दिवस उपस्थित होने पर उपलब्ध करवाया जा रहा है । यह योजना समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत संचालित केन्द्र, संस्कृत पाठशाला, मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित रजिस्टर्ड मदरसों जिनमें राजीव गांधी पाठशाला की जर्त पर पैराटीचर लगें हुए है एवं राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक वित्तीय सहयोग प्रदत्त है, में अध्ययनरत कक्षा 1–5 तक के विद्यार्थियों को मिड–डे–मील दिया जा रहा है । राज्य की वर्तमान में 58.56 लाख विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत मिड–डे–मील उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को निम्नानुसार व्यंजन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है –

1. रोटी–सब्जी
2. रोटी–दाल
3. दाल–बाटी
4. पूड़ी–सब्जी
5. मीठे चावल
6. नमकीन चावल
7. खिचड़ी
8. दाल चावल
9. मीठा दलिया
10. नमकीन दलिया
11. लापसी
12. स्थानीय मांग के अनुसार भोजन

पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। भोजन पकाने के काम से शिक्षकों को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है । राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को आयुक्त पंचायती राज एवं निदेशक मिड–डे–मील द्वारा संचालित किया जाता है ।

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(170)पीसी/पीआरडी/कक्षा6से6/07/1990 जयपुर दिनांक 04.10.07 द्वारा कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी सत्र 2007–08 से (राजकीय/अनुदानित विद्यालय) मिड–डे–मील देना प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । इस योजना से अनुमानित 22.16 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे । दिये जाने वाले भोजन के अन्तर्गत 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक किया गया है । भारत सरकार के आदेशानुसार यह योजना 1 अक्टूबर 2007 से प्रभावी (मानी) है।

मिड–डे–मील की सम्पूर्ण व्यवस्था आयुक्त/निदेशक मिड–डे–मील पंचायत राज विभाग द्वारा ही किया जाता है । प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा केवल मात्र नामांकन एकत्रित कर ही उपलब्ध करवाया जाता है । जन प्रतिनिधियों द्वारा/शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकीय यात्रा के दौरान भी निरीक्षण किया जाता है ।

सत्र 2008–09 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत शालाओं की जिलेवार संख्यात्मक सूचना

क्र.सं.	जिला	बालक	बालिका	शिक्षाकर्मी	योग
1	अजमेर	08	–	03	11
2	भीलवाडा	20	01	–	21
3	नागौर	20	–	–	20
4	टौंक	16	–	–	16
5	बीकानेर	20	04	–	24
6	चूरू	26	04	–	30
7	हनुमानगढ	06	–	–	06
8	झुंझुंनू	16	–	–	16
9	श्रीगंगानगर	25	–	–	25
10	अलवर	46	–	–	46
11	भरतपुर	21	–	–	21
12	दौसा	06	–	–	06
13	धौलपुर	19	–	–	19
14	जयपुर	19	–	–	19
15	सीकर	19	01	–	20
16	बाडमेर	250	08	01	259
17	जैसलमेर	25	01	–	26
18	जालौर	19	02	–	21
19	जोधपुर	47	–	–	47
20	पाली	22	05	–	27
21	सिरोही	10	01	–	11
22	बारां	51	–	–	51
23	बूंदी	11	–	–	11
24	झालावाड	57	–	–	57
25	करौली	41	03	–	44
26	कोटा	03	–	–	03
27	सवाईमाधोपुर	39	–	–	39
28	बांसवाडा	17	–	–	17
29	चितौडगढ	14	–	–	14
30	डूँगरपुर	17	01	–	18
31	राजसमंद	17	–	–	17
32	उदयपुर	34	01	01	36
33	प्रतापगढ	02	–	–	02
	सर्वयोग	963	32	05	1000

विभागीय – जाँच

01 विभागीय जांच अनुभाग के द्वारा आयुक्तालय स्तर पर संपादित कार्य का सारगर्भित विवरण :–

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमों/दिशा–निर्देशों/आचरण नियमों के विरूद्ध कार्य करने तथा किसी नागरिक द्वारा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत करने पर राजस्थान असैनिक सेवाएं – {वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील}–नियम, 1958 के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक जांच करवाना, निलम्बन की कार्यवाही करना एवं उक्त नियमों के नियम–16 एवं 17 के अन्तर्गत अपचारी लोक–सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित/प्रस्तावित की जाती है ।

01 निदेशालय स्तर पर वर्ष 2009 में किये गये कार्यो की संख्यात्मक सूचना इस प्रकार है :–

क्र.स.	विषय विवरण	पूर्व शेष (31.12.08)	जुडे प्रकरण	योग	निस्तारित प्रकरण	वर्तमान शेष (31.12.09)
1	प्राथमिक जांच	186	145	331	241	90
2	सी.सी.ए.–17	202	64	266	166	100
3	सी.सी.ए.–16	302	62	364	252	112
4	निलम्बन	50	06	56	12	44
	योग	740	277	1019	771	346